



सप्तदश

बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 07 श्रावण, 1943 (श०)
29 जुलाई, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 147

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|----|----|----|
| (1) | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | .. | .. | .. | 19 |
| (2) | नगर विकास एवं आवास विभाग | .. | .. | .. | 62 |
| (3) | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | .. | .. | .. | 18 |
| (4) | कृषि विभाग | .. | .. | .. | 21 |
| (5) | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | .. | .. | .. | 09 |
| (6) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .. | .. | .. | 12 |
| (7) | सहकारिता विभाग | .. | .. | .. | 06 |

कुल योग -- 147

कार्रवाई करना

*305. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना हर घर नल का जल के तहत गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत रौना पंचायत, कनौसी पंचायत, कौंची पंचायत एवं गुदरू पंचायत तथा परैया प्रखंड के अजमतगंज पंचायत में त्रिगत एक वर्ष पूर्व में संवेदक द्वारा एकरारनामा के तहत समय-सीमा के अन्दर अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे उक्त पंचायत के ग्रामीणों को पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर शेष कार्य का शीघ्र निष्पादन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*306. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहारीगंज, विधान सभा के बिहारीगंज अंचल में मधुकरचक पंचायत के वार्ड नम्बर 1 में श्री कामेश्वर पाठक के घर से पूरब ग्राम पंचायत की पी0सी0सी0 सड़क बनी हुई है तथा पश्चिम में आर0डब्ल्यू0डी0 सड़क से जुड़ी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में एक ग्रामीण द्वारा अतिक्रमित कर अपना निजी जमीन बताते हुये घर बना लेने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पथ को अतिक्रमण मुक्त कराकर उक्त रास्ते को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करना

*307. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के पौटन प्रखंड के पंचायत खलवा एवं गंभीरपुर पंचायत के गरीब भूमिहीन राशन कार्ड के अभाव में राशन से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में राशन कार्ड से वंचित गरीबों की जाँच कराकर राशन कार्ड कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*308. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैती)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती एवं कहलगांव प्रखंड में मेसर्स जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार का कार्य 30 महीनों के अंदर करने हेतु दिनांक 14 अगस्त, 2015 को एकरारनामा हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा एकरारनामा प्रस्तावित राशि अंके 198,89,77,280 @ रुपये के आलोक में प्रस्तावित योजना के कार्य में काफी अनिमियता की गई है, जिसके कारण अधिकतर जलमीनार का कार्य आधा-अधूरा पड़ा हुआ है और अबतक आम नागरिकों को जलापूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जलापूर्ति योजना की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये शीघ्र सभी जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर आम नागरिकों को लाभान्वित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी कराना

*309. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के नवरत्नपुर टोला सहित उक्त क्षेत्र की जल निकासी अनुसूचित जाति टोला इमली के पेड़ के निकट से रेलवे नीर प्लाट पईन में होती थी, परंतु विगत आठ-दस वर्षों से पईन को अवैध तरीके से स्थानीय दबंगों द्वारा भर दिये जाने से जल की निकासी नहीं हो पाने से नवरत्नपुर अनुसूचित जाति टोला वासी नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पईन की उड़ाही कराकर जल निकासी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल की खरीद कराना

*310. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में पैक्स द्वारा किसानों के धान एवं गेहूँ फसल की खरीद विलम्ब से की जाती है, फलस्वरूप किसान अपने फसलों को बाजार में बेचने को विवश होते हैं, यदि हाँ, तो सरकार फसल तैयार होने के प्रारंभ से ही धान एवं गेहूँ फसल की खरीद पैक्स से कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*311. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी, नानपुर एवं बोखड़ा में किसानों द्वारा ऊपजाई गई गेहूँ को पैक्स द्वारा नहीं खरीदने से किसान काफी परेशान है, जबकि किसान को अनाज बेचकर ही अगला फसल लगाने एवं अन्य खर्च करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इस समस्या का निदान करने का कबतक क्या विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*312. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के अतिहर पंचायत के वार्ड संख्या 11 घोरभट्टा, बिजली, छोड़ एवं अन्य पंचायतों के जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 2020 में अनेकों माह में सस्ते सरकारी राशन न देकर ट्रान्सपोर्ट एवं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी की मिली भगत से काला बाजारी की गई है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा संबंधित पदाधिकारी से की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त पंचायतों की जन-वितरण प्रणाली की राशन की काला बाजारी करने वाले संबंधित पदाधिकारी एवं ट्रान्सपोर्ट पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*313. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई नगर पंचायत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 में शौचालय निर्माण योजना के तहत कुल 4388 परिवार के लिये आवंटित शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लाभोचित परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूरा करा लेने के बावजूद अभीतक 2116 परिवारों के ही दूसरे किस्त की राशि का भुगतान किया जा सका है, शेष 2272 परिवारों का दूसरे किस्त की राशि का भुगतान अबतक लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे 2272 परिवारों की लम्बित राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जगह आवंटित करना

*314. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत संग्रहित कचड़ा के निस्तारण हेतु कोई चिन्हित स्थल नहीं होने के कारण नगर परिषद् द्वारा यत्र-तत्र कचड़ा डंप कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् में कचड़ा निस्तारण हेतु जगह आवंटित करते हुए यत्र-तत्र डंप किए गए कचड़े को चिन्हित स्थल पर कबतक कचड़ा डंप कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*315. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महोआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला मुख्यालय, हाजीपुर रामाशीष चौक पर लगभग 35 वर्षों से अधिक अवधि से अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैण्ड संचालित है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उक्त बस स्टैण्ड को शहर से काफी दूर पुलिस लाइन के आगे स्थापित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होगी ;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बस स्टैण्ड को किसी अन्य स्थल पर कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवंटन करना

*316. श्री सिद्धार्थ सौरभ (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण योजना के तहत नगर पंचायत, नौबतपुर में कुल 267 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें नगर पंचायत, नौबतपुर द्वारा विभागीय निर्देशानुसार 267 योजनाओं में से 57 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है या प्रगति पर है एवं शेष बचे योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध नहीं करायें जाने के कारण योजनाओं का कार्य बाधित है, जिससे आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार लम्बित योजनाओं के विरुद्ध नगर पंचायत को आवंटन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टंकी की मरम्मती

*317. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के धर्मपुर रत्ती (जय रामपुर) एवं पश्चिम पंचायत (मडवा) में 10 वर्ष पूर्व पानी का टंकी बना हुआ था, परंतु जर्जर हो जाने के कारण वर्ष 2019 से दोनों टंकी से पानी का सप्लाई बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण से आमजनों को पानी की किल्लत है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पानी टंकी का मरम्मतीकरण कराकर पानी की सप्लाई कबतक सुचारू रूप से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*318. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड एवं मझौलिया प्रखंड में अतिवृष्टि के कारण किसानों के धान के बिचड़े एवं धान के फसल नष्ट हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर किसानों को उनके फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*319. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड के किसानों द्वारा वर्ष 2014-15 में गणेश राईस मिल, वजीरगंज को धान दी गई थी, परंतु अभी तक 17 किसानों को धान के पैसा का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त किसानों को कब तक राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*320. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दक्षिणी लोधवे के ग्राम-करीऔंध के महादलित परिवारों को पूर्व में सरकार द्वारा सरकारी भूमि का परवाना दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जुलाई, 2021 के प्रारंभ में परवाना धारी महादलित लोगों के द्वारा उस भूमि पर अपने मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिससे वहाँ के दबंगों द्वारा जबरन मारपीट कर नवनिर्मित भवनों को तोड़ दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों को सजा देने के साथ पीड़ित परिवार को पुनः जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*321. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी नगर परिषद् के अन्तर्गत गन्दे जल निकासी का एक भी ड्रेनेज नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् में ड्रेनेज का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा निर्गत कराना

*322. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत भोरहा के ग्राम बेलगाछी वार्ड नं० 1 एवं 2 में 186 महादलित एवं आदिवासी परिवार वर्ष 1980 से सरकारी जमीन पर बसे हुये हैं, जिनके पास पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड रहने के बावजूद आजतक उन परिवारों को बासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है, जिससे उन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उन परिवारों को कबतक बासगीत पर्चा निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*323. डॉ० रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना सदर प्रखंड के पंचायत सोनावां सहित 5 और पंचायत में धान रोपनी के स्थल की जाँच कर सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (सा०) बिहार, पटना के संचिका संख्या मो० 26/18 (साख्यकी) 5320/कृ०, पटना, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को भेजी गई थी, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी, पटना द्वारा अभीतक कृषि निदेशालय, बिहार पटना को उक्त स्थल का जाँच सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

निर्माण कराना

*324. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट नगर पंचायत के मुख्य बाजार के मदरसा चौक से किसान कॉलेज तक सड़क में नाला नहीं होने से सड़क पर सालोंभर जल-जमाव रहता है, जिसके कारण आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर स्लैब सहित नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*325. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर, प्रखंड एवं इटाही प्रखंड के पशु अस्पताल है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा उक्त अस्पतालों में पशु चिकित्सक कभी नहीं आते हैं, जिससे आम जनता को प्राईवेट पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा चिकित्सालय को नये सिरे से कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का संचालन

*326. श्री लालबाबु प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड जो जिले का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्रफल वाला सुदूर ग्रामीण प्रखंड है, जिसमें किसानों के खेती संबंधी प्रशिक्षण हेतु कोई साधन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने एवं कृषि योग्य योजनाओं का संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*327. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ सदर अनुमंडल पशु चिकित्सालय के जर्जर पशु शेड, जर्जर भवन, टूटी हुई चहारदीवारी एवं अस्पताल परिसर में जल-जमाव रहने के कारण यहां पशु चिकित्सा प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय का कबतक जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*328. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में फसल सहायता योजना लागू किया गया है, परंतु उक्त योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को नहीं मिल पर रहा है, जिससे किसानों को काफी क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार के० सी० सी० कार्ड धारकों को उक्त योजनाओं का लाभ कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि अधिग्रहण कराना

*329. श्री रामचन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हाया घाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हाया घाट प्रखंड में 1982 से स्थापित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय आनन्दपुर सहोड़ा तक जाने के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं रहने के कारण छात्रों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय तक जाने के रास्ते के लिये भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क की मरम्मती

*330. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम नगर परिषद् के गौरक्षिणी मुहल्ला में जल-जमाव होने के कारण सासाराम रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों मुहल्लेवासियों को आने-जाने में दिक्कत होती है और नारकीय स्थिति बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार जल निकासी की व्यवस्था के साथ उक्त सड़क की कबतक मरम्मती का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

7
मुआवजा देना

*331. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के पंचायत टेलपा एवं अरवल प्रखण्ड में गोरा, रामपुर चौराहा पंचायत सहित अन्य में मई, 2021 में आये यास तूफान को अतिवृष्टि से उक्त पंचायतों के किसान के खेत में लगी फसल नष्ट हो गयी थी, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त पंचायतों के किसानों को फसल मुआवजा की राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*332. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् में बरसाती जल निकासी का प्रबंध नहीं रहने के कारण शहर में लगभग सभी सड़क पर जल-जमाव रहता है, जिससे आमजन को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार फारबिसगंज में नगर परिषद् में जल-जमाव की समस्या को निजात दिलाने हेतु स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*333. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव नगर परिषद् क्षेत्र के साफ-सफाई हेतु शिवम जन-स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र, पटना आउटसोर्सिंग एजेंसी को नवम्बर, 2019 में कार्य सौंपा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसियों को प्रत्येक माह 19,82,240 रुपये की राशि मुहैया करायी गयी है, इसके बावजूद पूरे डुमराँव नगर परिषद् क्षेत्र में गन्दगी फैली रहती है तथा बरसात में भारी जल-जमाव से जूझना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन

*334. श्री अवध विहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान नगर परिषद्, सीवान के वार्ड नं० 17 में मालवीय चौक से ओम प्रकाश यादव के घर तक जमे हुये जल निकासी के लिये नाला का निर्माण स्लैब के साथ करने हेतु उप-समाहर्ता प्रभारी जिला विकास शाखा, सीवान के ज्ञापांक 165, दिनांक 8 फरवरी, 2021 द्वारा नगर परिषद् सीवान को 76,45,800 (छिहत्तर लाख सैंतालिस हजार आठ सौ रुपये) का प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है, लेकिन आजतक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है एवं प्राक्कलित राशि का आवंटन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नाला का निर्माण स्लैब के साथ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि का आवंटन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*335. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के बथनाहा एवं अमौना पंचायत के सभी वाडों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल से जल योजना में विभागीय अधिकारी एवं संवेदक के मिलीभगत से कार्य मानक के

अनुरूप नहीं कराये जाने से उक्त पंचायत के लोग शुद्ध जल से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार फारबिसगंज प्रखंड के उक्त दोनों पंचायत में नल-जल योजना में हुये अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारी एवं संवेदक पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिवर्तित करना

*336. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव नगर पंचायत 1869 में स्थापित है एवं कहलगाँव में एनटीपीसी होने के कारण नगर पंचायत क्षेत्र के आस-पास के इलाकों का तेजी से शहरीकरण हो चुका है तथा नगर परिषद् बनने की सभी अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार कहलगाँव नगर पंचायत को नगर परिषद् में कबतक परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शीतल गृह बनाना

*337. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बरियारपुर प्रखण्ड मुख्यालय में शीतल गृह नहीं होने के कारण सब्जी की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में शीतल गृह कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन करना

*338. श्री अवध विहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान नगर परिषद् के वार्ड नं० 1 से 38 तक वार्डों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का डी०पी०आर० परामर्श एम/एस संक्शन पी०भी०टी० एल०टी०डी० द्वारा समर्पित किया गया है, जिससे नाले की कुल लम्बाई 66.57 कि०मी० एवं कुल लागत 50.24 करोड़ का प्राक्कलन पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता, बुडको सीवान के पत्रांक 174 (3) दिनांक 18 अप्रैल, 2021 अधीक्षण अभियंता बुडको सारण प्रमंडल, छपरा को लिखा गया है, लेकिन आजतक प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि का आवंटन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नालों का निर्माण हेतु प्राक्कलन का प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि का आवंटन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*339. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है, कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 02 नया टोला में कल्वर्ट से सुदाम की दुकान तक की सड़क अत्यन्त जर्जर हो चुकी है एवं कल्वर्ट से गम्बर सिंह के घर तक सड़क पर ढाई से तीन फीट पानी जमा रहता है जिसके कारण लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल है जबकि रेलवे स्टेशन जाने के लिये यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सड़क है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पानी निकासी और सड़क निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइट को पुनः चालू करना

*340. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के शिवहर नगर परिषद् में वार्ड नं० 1 से वार्ड नं० 15 तक बिजली के पोल पर 2 वर्ष पूर्व लाइट लगायी गयी थी, लेकिन आजतक सभी लाइटें खराब पड़ी हुयी है, जिसके कारण आम जनता को अंधेरे में आने-जाने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार खराब पड़े लाइट को पुनः चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदद दिलाना

*341. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के महादलित समुदायों को 50 से 60 के दशक में भू-दान यज्ञ कमिटी से हजारों एकड़ जमीन वितरित किया गया लेकिन अधिकांश जमीन पर आजतक महादलित समुदायों को दखल-कब्जा नहीं मिल सका है, जिससे आज भी रानीगंज प्रखंड के कुछ पंचायतों जैसे परमानंदपुर, विशनपुर, मझुआ पूरब, मझुआ पश्चिम, कोशिकापुर उत्तर, कोशिकापुर दक्षिण आदि में महादलितों और जमींदारों के बीच भूमि के लिये संघर्ष होता रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भूमिहीन महादलित परिवारों के बीच भू-दान यज्ञ कमिटी से वितरित जमीन पर प्रशासन की मदद से दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना

*342. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जुलाई, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "लखनदेई के जलस्तर में गिरावट कई मोहल्ले में जल-जमाव, पौंपा सेट से पानी निकाल रहे लोग" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत वार्ड संख्या 2, 4, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 26 एवं 27 निचले इलाके में आता है जिसके कारण जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी पानी की निकासी करने की दिशा में परिणाममूलक कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समस्या का निदान कर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण करना

*343. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर एवं वजीरगंज प्रखंडों में नल-जल-योजना अभीतक पूर्ण नहीं हुई है जिसके कारण पेयजल की समस्या बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में पेयजल योजना पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क बनाना

*344. श्री अरूण कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना में कई प्रमुख नालों आशियाना-दीघा, नाला रोड आदि पर सड़क बना है। इसी तर्ज पर इनकम टैक्स से मंदिरी तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क बनाने की योजना है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पटना के सैदपुर नाले की स्थिति भी जीर्ण-शीर्ण है। नाले के दोनों तरफ धनी आबादी बसी है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ घटती रहती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में वर्णित सैदपुर नाला को पाटकर सड़क बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाम जोड़ना

*345. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नसरीगंज प्रखंड के अरनी पंचायत के डीलर के द्वारा धनवती देवी कार्ड नम्बर 10320070 एवं सकली देवी कार्ड नम्बर 14200040 तथा अन्य का शादी होने के बाद राशन कार्ड से बेटी का नाम हटा दिया गया है। यदि हाँ, तो सरकार शादी होने के बाद बहुओं का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु डीलर को अधिकार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*346. श्री सुदर्शन कुमार (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के गर्दनीबाग इलाके में सरकारी भवनों के निर्माण के क्रम में निर्माण एजेंसी द्वारा नाला अवरुद्ध किये जाने के कारण गर्दनीबाग रोड नम्बर 10 एवं 17 में भूतपूर्व जल-जमाव की स्थिति हो गई है, जिसके कारण लाखों की आबादी नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त है, यदि हाँ, तो सरकार इस इलाके को जल-जमाव से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल की व्यवस्था करना

*347. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर विधान सभा क्षेत्र में हर घर नल जल योजनान्तर्गत गाँवों में पानी का कनेक्शन दिया गया है जबकि सार्वजनिक स्थलों यथा विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल आदि जगहों पर पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर हर घर नल जल योजनान्तर्गत पानी की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*348. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के लखीसराय के अंचलाधिकारी द्वारा खगौर पंचायत में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना द्वारा निर्मित आवास में रह रहे लोगों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस देकर आवास तोड़ने का आदेश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवास भूमिहीन लोगों के लिये बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आवास को तोड़ने के पूर्व आवास में रहने वाले लोगों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*349. श्री राम प्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद, बरौली के वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7, 8 में जल निकासी हेतु नाला की व्यवस्था नहीं है एवं बरौली बाजार का अपशिष्ट जल निकासी हेतु शहर के बाहर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं रहने के कारण अपशिष्ट जल किसानों की निजी जमीन में गिरता है, जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में नालों का निर्माण एवं बाजार के अपशिष्ट जल निकासी हेतु स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव दूर करना

*350. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत भारत-नेपाल सीमावर्ती पर स्थित नगर परिषद्, ढाका में मुख्य सड़क सहित सभी 25 वाडों में जल-जमाव की व्यापक समस्या है, जिस कारण अधिकांश सड़क नाला में तब्दील हो गया है तथा लगभग 300 घरों में पानी भरा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद्, ढाका में जल-जमाव से मुक्ति दिलाने हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*351. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियां)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां नगर परिषद् क्षेत्र में भभुआ रोड प्लेटफार्म नं०-4 के उत्तर से यादव टोला होते मोहनियां-रामगढ़ मुख्य सड़क तक जाने वाली सड़क तथा डॉ० कामेश्वर के अस्पताल से पूरब जाने वाली सड़क मोगैस एजेंसी के नजदीक बाइपास सड़क में मिलती है, उक्त दोनों सड़क की स्थिति विगत पाँच वर्षों से जर्जर है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*352. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत प्रखंड नौतन बाजार में स्थित खाता सं० 2539, 2537 तथा 2538 रकबा कुल 18 कट्टा 11 धूर में सार्वजनिक पोखरे को असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे वहाँ आम लोगों में आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सार्वजनिक पोखरा को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रारंभ करना

*353. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत पुरैनी दक्षिणी के नया टोला में 6 वर्ष पूर्व पी० एच० ई० डी० विभाग द्वारा बनाये गये जलमीनार से अभीतक जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है जिसके कारण पुरैनी उत्तरी एवं पुरैनी दक्षिणी पंचायत की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त निर्मित जलमीनार से जलापूर्ति प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*354. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला में नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 13, मोहल्ला-न्यू अलकापुरी, रोड नंबर 06, धाना-गर्दनीबाग में श्रीमती उर्मिला प्रसाद के मकान से श्रीमती शोभा झा के मकान तक पूर्व निर्मित नाला एवं सड़क का लेवल नीचा एवं जर्जर है, जिसके कारण उक्त स्थान में नाला का गन्दा पानी सड़क पर बहते रहने से स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थान की नाला एवं सड़क का लेवल ऊँचा करते हुए पुनः निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि मुहैया कराना

*355. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् के मुख्यमंत्री नली-गली योजना के तहत 429 योजना का चयन हुआ था, जिसमें से 205 योजना पूर्ण हो गया एवं शेष 224 योजना का प्राक्कलन बनाकर भेजा गया था जिसका बजट राशि 27 करोड़ रुपये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राशि स्वीकृति हो जाने के बाद भी नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अभी तक राशि का आवंटन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राशि मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मवेशी अस्पताल बनाना

* *356. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि परिचमी चम्पारण जिला के मैनाटाड़ प्रखंड के डमरापुर पंचायत और उसके अगल-बगल के पंचायतों में पशुपालन कार्य दूसरे क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डमरापुर का पशु अस्पताल जर्जर हो चुका है और वहां कोई मवेशी डॉक्टर नहीं रहते हैं, जिससे पशुपालक अपने बीमार पशुओं का इलाज दूर के अस्पताल नरकटियागंज में कराते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डमरापुर में मवेशी अस्पताल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

अनुपालन करना

*357. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दी फर्टिलाइजर (कन्ट्रोल) ऑर्डर 1985 नीति के तहत उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी राज्य सरकार के जिला पदाधिकारियों के सत्यापन के आधार पर सब्सिडी भुगतान करने का नियम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने से पहले राज्य सरकार, जिला पदाधिकारी के सर्टिफिकेट को केन्द्र के पास भेजने का कार्य किया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस प्रक्रिया का पालन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कंपनियाँ मनमाने ढंग से कार्य करती हैं तथा किसानों को ससमय एवं उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दी फर्टिलाइजर (कन्ट्रोल) ऑर्डर 1985 का पालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*358. श्री शकील अहमद खौं (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड के बकिया सुखाय ग्राम पंचायत के जन-वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक को अवधि में 5 माह का एन0 एफ0 एस0 ए0 का खाद्यान्न आपूर्ति नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बकिया सुखाय ग्राम पंचायत के एन0 एफ0 एस0 ए0 के अंतर्गत चयनित लाभुक उक्त अवधि के 5 माह का खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के उक्त योजना के लाभ से वंचित लाभुकों को पांच माह का खाद्यान्न देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा वापस करना

*359. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौदा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना-14 में तकनीकी सहायक का कुल 21 पद स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान में मात्र 12 पदों पर ही तकनीकी सहायक कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पटना-14 द्वारा इनके शैक्षणिक योग्यता को अनदेखी कर अन्यत्र अपने से निम्नस्तरीय पद पर नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अधिष्ठाता संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना-14 द्वारा कमिटी के अनुशंसा उपरांत सभी तकनीकी सहायकों की सेवा कार्यहित में वापस मांगी गयी है, परंतु अबतक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी तकनीकी सहायकों की सेवा उनके मूल पद पर वापस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन की खरीदगी

'क'- *360. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निर्वाचन क्षेत्र 71 बिहारीगंज विधान सभा (मधेपुरा) के अन्तर्गत ग्वालपाड़ा अंचल के रेशना पंचायत के लगभग 300 घरों की आबादी वाले ग्राम-डफराटोला, वार्ड नं० 12 में निजी जमीन के अलावे आने-जाने का कोई रास्ता नहीं रहने के कारण ग्रामीणों में आपसी टकराव होता रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में आवागमन हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कई बार संबंधित विभागों का ध्यान आकृष्ट किया गया है, लेकिन अभीतक कार्रवाई नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्या सरकार उक्त ग्राम में आवागमन हेतु निजी जमीन की अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*361. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के सदेई पंचायत के वार्ड संख्या 12 एवं 14 में नल-जल योजना में काफी अनियमितता हुयी है तथा कार्य भी अधूरा है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये नल-जल योजना का कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुकदमा वापस लेना

*362. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार प्रखंड के चंद्रगढ़ गाँव के डीलर द्वारा कार्डधारियों को राशन कम दिये जाने की प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने दिनांक 21 जून, 2021 को सत्यापन भी किया फिर भी अबतक उक्त जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कम राशन देने वाले जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 155 (12) /रा०, दिनांक 22 जुलाई, 2021 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

गोदाम निर्माण कराना

*363. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिले में धान की कुल अधिप्राप्ति 1,92,000 क्विंटल एवं गेहूँ की कुल अधिप्राप्ति 80,000 क्विंटल की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिले में कुल मात्र 24,00 क्विंटल ही गोदामों में चावल एवं गेहूँ रखने की क्षमता है, जिससे पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति के दौरान चावल तैयार होने के बाद समय-सीमा के अन्दर गोदामों की कमी के कारण जमा नहीं होने के चलते पैक्सों को ब्याज चुकाने के साथ-साथ डिफॉल्टर भी कर दिया जाता है, जिससे पैक्सों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिप्राप्ति के अनुसार उक्त जिला में नये गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाला निर्माण

*364. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के रघुनाथ पुरी मोहल्ले के सड़क-सह-नाले की स्थिति जीर्ण-शीर्ण रहने के कारण लोगों का आवागमन बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पत्रांक 174/21, दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा सीतामढ़ी नगर निगम ने प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को उक्त सड़क-सह-नाला निर्माण के लिये प्राक्कलन भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मोहल्ले के सड़क-सह-नाला निर्माण का कार्य कबतक पूर्ण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*365. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009 में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अनुमंडल में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया के शेरघाटी अनुमंडल स्थित शमशान घाट में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे दाह कर्म करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*366. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ बाजार में रोड सकरा रहने के कारण आये दिन दुर्घटना होने से कई राहगीरों को मृत्यु तथा जाम की समस्या बनी रहती है, तथा अंडरप्राउंड नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव की समस्या रहती है, यदि हाँ, तो सरकार महुआ बाजार में फ्लाई ओवरब्रिज, बाइपास एवं अन्डरप्राउंड नाला का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*367. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ एवं बाबूबरही प्रखण्ड में सब्जी के भंडारण हेतु एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है एवं कृषक अपने खाद्य पदार्थों को दूसरे स्टोरेज में काफी दूरी होने के कारण भंडारण करने में असमर्थ है के कारण सब्जियों, फल एवं अन्य सामग्री को ऑने-पॉने के दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार लदनियाँ एवं बाबूबरही प्रखण्ड में कबतक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*368. श्री शकील अहमद ख़ाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा प्रखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीएचएच एवं एचआईवी लाभुकों का नवम्बर, 2020 का अनाज रंजीत कुमार बोसाक, दिलीप कुमार राय सहित 30 जन-वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को आपूर्ति नहीं किया गया, जिसके कारण लाभुक उक्त योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना का लाभ वंचित लाभुकों को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*369. श्री राकेश कुमार रोशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के सीवान नगर परिषद् में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2020 तक 49 लाख रुपया से अधिक का कार्य बिना निविदा निष्पादन के कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, सीवान ने इसकी जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक 775 (सी), दिनांक 6 अप्रैल, 2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त करा दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी व्यक्तियों/पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*370. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीवरावां प्रखंड के धमौल बाजार में सौलर पम्प की स्थिति जर्जर हो जाने के कारण बाजार में वाटर सप्लाय में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पम्प का जीर्णोद्धार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम बनाना

*371. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत मोदनगंज प्रखंड के नईमा पैक्स का गोदाम पितम्बरपुर में गाँव से उत्तर बनाया जा रहा है, जबकि गोदाम स्थल तक पितम्बरपुर गाँव पंचायत के किसी भी गाँव से कोई सम्पर्क पथ नहीं रहने के कारण अनाज लदे वाहनों का आना-जाना संभव नहीं है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार संपर्क पथ के लिये कौन-सी व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा मुहैया कराना

*372. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मोहनिया नगर परिषद् क्षेत्र में चांदनी चैक व भुआ रोड स्टेशन के नजदीक सार्वजनिक स्थल पर आम-जनता एवं राहगीरों के लिये शीतल पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर शीतल पेयजल की सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारवाई करना

*373. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तीन वर्ष पूर्व 600 करोड़ रुपये बुडको को आवंटित कर पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति का कार्य दिया गया, परंतु 3 वर्ष बीतने के बावजूद आजतक पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़क को न तो मरम्मत और न ही घरों में पानी का कनेक्शन आजतक दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार बुडको की शिथिल कार्यप्रणाली के विरुद्ध कौन-सी कारवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*374. श्री रण विजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर पटोरी को वर्तमान में नगर परिषद् का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शाहपुर पटोरी में पूर्वाबाड़ी ढाला (चन्दन चैक) से गुलम्ब राय बबुना उच्च विद्यालय के गेट तक नगर परिषद् के अधीन होने के बावजूद भी नाला का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण जल-जमाव की समस्या बनी रहती है जिससे लोगों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित स्थान पर जल-जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*375. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया, इसुआपुर एवं पानापुर प्रखंडों के सभी परिवारों से तीन वर्ष पूर्व नया राशन कार्ड बनाये जाने हेतु पुराने राशन कार्ड को सरेंडर कराया गया था जिसमें से अभीतक 5,000 परिवारों को नया राशन कार्ड नहीं बनाया गया है जिसके कारण सरकार द्वारा देय सुविधाओं से 5,000 गरीब परिवार वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राशन कार्ड से वंचित गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*376. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बंजरिया प्रखंड में प्रत्येक वर्ष सीमावर्ती देश नेपाल से वर्षात के समय में भयंकर बाढ़ आने के चलते अपने घरों को छोड़कर ग्रामीण जनता अपनी जान-माल की सुरक्षा हेतु जानवरों के साथ पानी जमा रहने के कारण उच्च स्थानों के अलावे सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे शरण लेना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के ग्रामीणों को उच्च स्थानों के अलावे सड़कों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाढ़ के पूर्व विभाग द्वारा भूमि चिन्हित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पहल करना

*377. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पटना, भागलपुर सहित कई शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद, मधुबनी अब 26 मार्च, 2021 से नगर निगम बन चुका है परन्तु सभी अर्हताओं को पूरा करने के बावजूद मधुबनी शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्वे कराकर मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित कर विकसित करने हेतु भारत सरकार से पहल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सूची को सार्वजनिक करना

*378. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर निकाय के जरूरतमंद परिवारों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास देने की प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आवास के लिये लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति एवं सूची को सार्वजनिक करने का तंत्र भी विकसित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पारदर्शिता हेतु सूची को सार्वजनिक करने के लिये प्रभावी कदम उठाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*379. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पश्चिमी पटेल नगर रोड नम्बर 15 में रोड एवं नाला का निर्माण अबतक न होने के कारण बरसात के दिनों में पानी के जल-जमाव होने से आवागमन बाधित रहता है तथा घरों में पानी घुस जाता है, यदि हाँ, तो सरकार पटना स्थित पश्चिमी पटेल नगर, रोड नम्बर 15 में डॉ० बी० भट्टाचार्या के घर के पास से रवि चौक तक पथ एवं नाला का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

सहायता देना

*380. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के किसानों का अतिवृष्टि से मकई की फसल खेतों में ही बर्बाद हो गया है जिसके कारण किसान भूखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के किसानों को फसल क्षति के लिये कबतक सहायता देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*381. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला, के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3, बलदियाबाड़ी में सुभाष के आटा चक्की मिल से सोभन नदाफ के घर तक नाला के साथ सड़क निर्माण की निविदा दो वर्ष पहले निकाली जा चुकी है, लेकिन अबतक वह सड़क नहीं बन पायी है, यदि हाँ, तो सरकार नाले के साथ उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*382. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में औरंगाबाद जिला में लगभग 2 लाख मिट्टिक टन धान की खरीद हुई है जिससे लगभग 1.35 लाख मिट्टिक टन चावल की खरीद की जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के 5,000 मिट्टिक टन क्षमता के चार गोदाम हैं जिनमें मात्र 20,000 मिट्टिक टन खाद्यान्न रखा जा सकता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गोदामों के अभाव के कारण खाद्यान्न के रख-रखाव में काफी कठिनाई होती है और चावल मिल मालिकों को हर्जाना देना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खरीद के अनुरूप गोदामों का निर्माण कब तक कराने और मिल मालिकों को डिटेशन राशि देने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

चावल लेना

*383. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत कुल 205 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों का कुल 38774.652 मिट्टिक टन चावल वर्तमान में एस0एफ0सी0 को देना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जुलाई महीना समाप्त होने को है, परंतु अभी तक सरकार द्वारा पैक्सों का चावल नहीं लिया गया है, जिसके कारण पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को काफी परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पैक्सों एवं व्यापार मंडल से कुल 38774.652 मिट्टिक टन चावल कब तक लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*384. श्री मुहम्मद इजहार अशाफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अन्तर्गत कोचाधामन पंचायत में बोहिता गाँव के वार्ड नम्बर 7 में अभी तक नल-जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलने के कारण आमजन में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव के वार्ड 7 में लोगों को नल-जल योजना का लाभ कब तक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुरू करना

*385. श्री मनोज मजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआँव विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों अगिआँव, गड़हनी और चरपोखरी में गरीबों के सैकड़ों राशन कार्ड रह कर दिये गये हैं, जैसे--

- रसीदा खातून, राशन कार्ड संख्या - 10290110019010000005
- अख्तरी बेगम, राशन कार्ड संख्या - 10290110019010000007
- हसबुन निसा, राशन कार्ड संख्या - 10290110019010000008
- संजीदा खातून, राशन कार्ड संख्या - 102901100190099000034
- नसीमा बेगम, राशन कार्ड संख्या - 102901100190099000066

जिससे अनेकों गरीब इस कोविड महामारी में राशन से वंचित हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में गरीबों के बंद कर दिये गये राशन कार्ड को पुनः कब तक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*386. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डेहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डिहरी-डालमियानगर नगर परिषद् के 10+2 डेहरी हाई स्कूल में दिनांक 25 जुलाई, 2015 से 7 दिसम्बर, 2018 तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्रीमती सुनीता सिंह पदस्थापित थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 कार्यपालक पदाधिकारी, डेहरी द्वारा अवैध तरीके से श्रीमती सुनीता को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से हटाकर श्री तेजनारायण पाठक उक्त पद पर नियोजित किया जबकि कांडसलिंग के समय श्री तेजनारायण अनुपस्थिति थे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा श्रीमती सुनीता सिंह को पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*387. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा शहर में स्थित घनी आबादी वाली व्यस्त सड़क गोदना रोड के निर्माण के लिए आरा नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आदेश दिया गया था तथा कुल अंके 1,30,00,000 रुपया मारित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण की राशि मात्र 30,000 रुपया सरकार द्वारा अबतक जारी नहीं की गई है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राशि का आवंटन कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*388. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 इमरौँव)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्नातक स्तरीय कृषि समन्वयकों को रु0 2800 ग्रेड पे पर नियुक्त किया गया है जबकि बिहार सरकार के अधीन डिप्लोमाधारक कनीय अभियंताओं, नर्सों एवं सामान्य स्नातक स्तरीय पदों पर इससे ज्यादा ग्रेड पे पर नियुक्ति हुई है तथा ससमय वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से इन्हें आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कृषि समन्वयकों के ग्रेड पे में कबतक वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिग्रहण करना

*389. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला का सासाराम शहर 2021 में नगर परिषद् में नगर निगम बना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शहर में एक भी विद्युत् शवदाह गृह नहीं होने से शव को यत्र-तत्र जगह जलाया जाता है, जिससे आमजनता को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सासाराम शहर में जमीन अधिग्रहण कर विद्युत् शवदाह गृह बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*390. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड में नुनफरवा पंचायत के नुनफरवा कृषि फार्म की चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश कर जाने से फसल बर्बाद हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कृषि फार्म की चहारदीवारी का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*391. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत चंडी प्रखण्ड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय, चंडी के भवन निर्माण की स्वीकृति लगभग चार वर्ष पूर्व हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़कर संवेदक लगभग दो वर्ष से फरार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालय, चंडी के अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के साथ ही साथ संवेदक पर सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय बनवाना

*392. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड के खंगरैठा ग्राम में कृषि विभाग का 25 (पच्चीस) एकड़ जमीन खाली है, जो बंकार पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को कृषि क्षेत्र में जागरूक बनाने हेतु अधिक से अधिक कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त करना

*393. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रूनीसैदपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर स्थित आनन्द बाजार से मटियापुर शिवाला पथ जो चार लेन में प्रस्तावित है, आनन्द बाजार से लेकर वास्तु विहार फेज-3 तक अत्यधिक अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़े-बड़े ट्रक के बीच सड़क पर ही स्थायी रूप से खड़े कर दिए गए हैं, आवादा पशुओं का जमावड़ा रहता है तथा बाजार में अतिक्रमण है जिससे आमजनों का चलना मुश्किल हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित अतिक्रमित पथांश को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सड़क को चौड़ा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*394. डॉ० रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखंड के पंचायत मौजीपुर के ग्राम-मौजीपुर एवं पंचायत जैतिया के ग्राम-ग्वासपुर और सम्पतचक प्रखंड के सातों पंचायत एवं पटना नगर निगम के वार्ड नं० 44 खेमनीचक एवं वार्ड नं० 46, आशोचक में चापाकलों के गाड़ने हेतु अनुशंसा की गई थी लेकिन उक्त अनुशंसित स्थलों पर अभी तक चापाकलों को नहीं गाड़ा गया है जबकि अभियंताओं एवं संवेदकों की मिलीभगत से उक्त चापाकलों की राशि को विभाग से निकाल लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अनुशंसित स्थलों पर चापाकल नहीं गाड़ने के लिए दोषी अभियंताओं एवं संवेदकों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण कराना

*395. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् दानापुर, पटना के वार्ड नं० 37 अन्तर्गत कुसुमपुरम कॉलोनी स्थित उपरावती अपार्टमेंट/राज इक्लेव से उत्तर तीनमुहान तक जाने वाली कच्ची सड़क जो टीचर्स लेन को जोड़ती है, आर० सी० सी० नाला निर्माण होने के कारण पूर्णतः जर्जर हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार टीचर्स लेन को जोड़ने वाली उक्त सड़क को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*396. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोकामा सहित पूरे राज्य में एस० एफ० सी० (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम से जन-वितरण प्रणाली दुकानदारों को जो खाद्यान्न को बंरा दिया जाता है वह बिना तौले दिया जाता है जिसके कारण उसमें कम अनाज रहता है, यदि हाँ, तो सरकार ऑनलाइन तौल की व्यवस्था कर अनाज देने की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*397. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड में स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सक महीना में दो-चार दिन ही आते हैं, जिसमें प्रखंड के पशुपालकों को कठिनइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*398. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखंड के पंचायत-मौजीपुर के मौजा-मौजीपुर, थाना नं० 2 खाता नं० 242, खसरा नं० 676, किस्म-गैर-मजरूआ आम (डगरा), रास्ता एवं मौजा-गढ़ोचक (कूपालटोला) थाना नं० 13 खाता नं०-110, खसरा नं० 284 एवं 325 किस्म-गैर-मजरूआ आम, भूमि हैं, जिसे लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दर्जा देना

*399. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में 24 पंचायत है, जिसका मुख्यालय कल्याणपुर है, सिर्फ कल्याणपुर की आबादी 20 हजार से अधिक है जहाँ सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है और नगर पंचायत क्षेत्र होने की सभी शर्तों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड को नगर पंचायत क्षेत्र का कबतक दर्जा देने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यंत्र लगाना

*400. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी टोला सोनीचक पंचायत के कनकैठी के समीप 2017 में बने कूड़ा डम्पिंग ग्राउंड की अभीतक न तो घेराबंदी की गई है और न ही कूड़े के विनष्टीकरण के लिये यंत्र लगाये गये हैं जिसके कारण पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है यदि हाँ, तो सरकार कबतक डम्पिंग ग्राउंड की घेराबंदी करने एवं कूड़े के विनष्टीकरण के लिये कबतक यंत्र लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से बचाना

*401. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसडा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर शहर के आर० एन० ए० आर० कॉलेज के पास बरसात के दिनों में जल-जमाव हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर जल-जमाव दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*402. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि चंपारण के बेतिया शहर में बेतिया राज की जमीन पर सैकड़ों वर्षों से बीस हजार परिवार निवास करते आ रहे हैं, परंतु उक्त जमीन का भू-स्वामित्व उनके नाम नहीं रहने के कारण उन लोगों को सरकारी लाभ से वंचित रहता पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर रहे लोगों को जमीन का वासगीत पत्रा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*403. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज के रैयत नगर परिषद् क्षेत्र वाई संख्या 08 राजस्व थाना सुलतानगंज अन्तर्गत परियाजना सुलतानगंज अगुवानी घाट के बीच गंगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु वर्ष 2017 में भूमि अधिग्रहण की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन एवं भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि का किस्म बदल कर कृषि योग्य भूमि की दर से 16,500 रुपये प्रति डिसमिल, मुआवजा हेतु भुगतान का पंचाट दी गई है, जबकि उक्त भूमि का निबंधन शुल्क ही प्रति डिसमिल 40,000 रुपये एवं मार्केट वैल्यू रेट 2,50,000 रुपये न्यूनतम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*404. श्री शाहनज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट अंचल 27 पंचायतों जिसमें 27 राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध मात्र तीन राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं जिसके कारण राजस्व की वसूली जमीन का मोटेशन आदि कार्य समय पर नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में रिक्त राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिग्रहण करना

*405. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला का सासाराम शहर 2021 में नगर परिषद् से नगर निगम बना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शहर में कुड़ा डम्पिंग करने के लिये कोई जगह चिन्हित नहीं होने के कारण शहर में जगह-जगह कुड़ा फोका रहता है, जिससे आम जनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सासाराम शहर में जमीन अधिग्रहण कर कुड़ा डम्पिंग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*406. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत शाहपुर मोड़ पर हर सोमवार को एक बड़ा पशु हाट लगता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्थान पर पशु हाट लगने के कारण सालों भर काफी संख्या में पशु यहां रहते हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, और नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*407. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत जगदीशपुर के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 145/19-20, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 में अंकेक्षण दल द्वारा जाँचोपरांत पाया गया कि विभागीय पत्र संख्या 5088, दिनांक 4 अगस्त, 2016 का अनुपालन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंकेक्षण दल ने पाया है कि नगर पंचायत की जगदीशपुर की सभी योजनाएँ का क्रियान्वयन अस्थायी/सविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता से न कराकर असंबद्ध क्रनीय अभियंताओं से कार्य कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर पत्रांक 5088, दिनांक 4 अगस्त, 2016 के कडिका 4 के अनुपालन नहीं करने वाले जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*.408. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र के पंचायत बरीयावाँ के खैरा सोनवर्षा में लगे मिनी जलापूर्ति केन्द्र को विगत चार वर्षों से विद्युत और जलापूर्ति कनेक्शन के अभाव में अबतक बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो जाँच कर कार्रवाई के साथ कबतक जलापूर्ति प्रारम्भ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*409. श्री सुदर्शन कुमार (क्षेत्र संख्या-170 बरबीथा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर नगर परिषद् के पूर्वी गोला रोड अंतर्गत आनंद विहार कॉलोनी, चन्द्रशेखर नगर, जनकपुरी कॉलोनी, सर्वोदय नगर,

अभिनव विहार कॉलोनी आदि के भू-भाग में जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण इन इलाकों में विशेषकर बरसात में भीषण जल-जमाव रहता है, यदि हाँ, तो सरकार इन इलाकों को जल-जमाव से मुक्त कराने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*410. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम अन्तर्गत दो लाईफ लाइन सड़क वार्ड संख्या 26 में गंगा दार्जिलिंग फ्लावर मील सड़क से मध्य विद्यालय पंचायत भवन होते हुये नेवालाल चौक तक एवं परासर गैरेज से उदय साह डॉ० आर० एन० पो० सिंह के घर होते हुये खिरू चौक तक काफी जर्जर रहने के कारण शहर में जाम की समस्या रहती है तथा हमेशा सड़क दुर्घटना होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ नगर निगम के उक्त दो लाईफ लाइन सड़कों का निर्माण नाला सहित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बर्खास्त कराना

*411. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावाँ प्रखंड काफी संवेदनशील तथा बाढ़ प्रभावित अंचल/प्रखंड है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावाँ अंचल के अंचलाधिकारी को उनकी अकर्मण्यता के कारण समाहर्ता, नालंदा के ज्ञापांक 1575, दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा अस्थावाँ अंचल के कार्य से मुक्त करते हुये जिला मुख्यालय में वापस किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अंचलाधिकारी अस्थावाँ को उनकी अकर्मण्यता के कारण बर्खास्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*412. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह विधान सभा क्षेत्र के गोह प्रखंड के मलहद पंचायत के गंगटी गाँव के वार्ड नं० 4 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत जल का कार्य चार वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था परंतु अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके कारण गाँव में पेयजल की भारी किल्लत है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त कार्य को कबतक पूरा कराकर नियमित रूप से जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*413. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर पंचायत के वार्ड नं० 6, 7, 10, 13 एवं 14 पूर्णरूप से बरसात के समय जल-जमाव से ग्रस्त हो जाता है, जिससे लोगों के घर में पानी महीनों तक जमा रहता है तथा शेष बाड़ों में आंशिक जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत, जयनगर द्वारा कराये गये कार्यों की जाँच एवं समस्या से निजात दिलाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*414. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोथिया प्रखंड एवं किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत सात निश्चय योजना के तहत घर-घर नल का जल योजना चलाया गया है किन्तु पोथिया प्रखंड के दर्जनों गाँवों में कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड एवं नगर पंचायत में कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*415. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत चौरा टभका, विभूतिपुर पूरब एवं उत्तर, गंगौली, देसरी, भूसवर, महधी २० एवं ३० तथा आलमपुर के हजारों एकड़ में लगी फसल एवं सब्जी की खेती ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई, जिसके कारण किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर किसानों को कबतक फसल क्षति का उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*416. श्री (मो०) कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रोह एवं गोविन्दपुर प्रखंड में अवस्थित पशु चिकित्सालय की चहारदीवारी नहीं है एवं भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा बना रहता है या भवन की जर्जर होने के कारण अस्पताल के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों की चहारदीवारी एवं भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*417. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अंचल एवं प्रखंड का कार्यालय अति जर्जर होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है तथा कार्यालय में रखे अभिलेख भी नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर हुये कार्यालय भवन को तोड़कर नये भवनों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार शुरू कराना

*418. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अन्तर्गत मक्खाचक और सकरपुरा स्थित जलमीनार का निर्माण होने के बाद भी अभीतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार को कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*419. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत प्रखंड उदाकिशुनगंज के अधीन ग्राम पंचायत लश्करी के ग्राम-मुरली चंदना में भीषण वर्षा एवं अन्य जगहों से पानी गाँव में आने के कारण धान का बिचड़ा नष्ट हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धान का बिचड़ा नष्ट होने के कारण किसान धान की खेती करने में असमर्थ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव का बिचड़ा नष्ट होने की जाँच कराकर मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*420. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कहलगाँव नगर पंचायत क्षेत्र के गंगा नगर, चेथरियापीर, ब्लॉक रोड, हाट रोड, बस स्टैंड आदि इलाकों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आये दिन जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है एवं बारिश के दिनों में जल-जमाव के कारण तथा उन इलाकों में जर्जर सड़क रहने के कारण चलना भी दूभर हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कहलगाँव नगर पंचायत क्षेत्र में ड्रेनेज की मुकम्मल व्यवस्था एवं जर्जर सड़कों के निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*421. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद पाँच साल से रिक्त है जिसके कारण कृषि संबंधी कार्यों में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*422. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नम्बर 9 और 10 में सड़क पर जल-जमाव एवं कीचड़ के कारण निवासियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है तथा वाहन का आना-जाना बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में नाला और सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालयों का उपयोग

*423. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार राज्य के कई प्रखंडों में 1.25 करोड़ की लागत से ई किसान भवन के कार्यालयों का निर्माण कराया गया है, जिसका उपयोग नहीं होने कारण सारे उपस्कर चोरी हो रही हैं तथा भवन की जर्जर हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत कलुआही प्रखंड के ई-किसान भवन, पश्चिम चम्पारण जिला के नौतन प्रखंड के ई-किसान भवन और बैरिया प्रखंड के ई-किसान भवन एवं अन्य का उपयोग नहीं किये जाने से उपस्कर की चोरी एवं भवन जर्जर हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्मित ई-किसान भवनों के कार्यालयों का उपयोग में लाने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

डी0 पी0 आर0 की स्वीकृति

*424. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रमंडलीय मुख्यालय, दरभंगा को जल-जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिये वर्ष 2015 में ही 225 करोड़ की राशि का स्टोर्म वाटर ड्रेनेज का विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) विभाग ने बनवाया जिसकी स्वीकृति नहीं होने के कारण जल-जमाव से दरभंगा शहर की स्थिति अत्यंत नारकीय हो गई है और कई स्थानों पर भारी जल-जमाव रहता है, यदि हाँ, तो सरकार दरभंगा शहर को जल-जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु कबतक उक्त (डी0पी0आर0) की स्वीकृति देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*425. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 के पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण तरबूज, दलहन, आम, मिर्ची और धान की फसल की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, परंतु किसानों को अभीतक मुआवजा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर केसरिया विधान सभा क्षेत्र के किसानों को उनकी फसलों की क्षति के लिए मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना का संचालन करना

*426. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में जल-नल का कार्य विभागीय स्तर से करवाया गया है, जिसमें पदाधिकारियों के लापरवाही एवं मनमानी के कारण एक भी पंचायत में यह योजना सुचारू रूप से संचालित नहीं है तथा इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर उक्त विधान सभा क्षेत्र में जल नल योजना का संचालन सुचारू रूप से करवाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*427. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के नवला पंचायत में मई, 2021 में ओलावृष्टि एवं याश तूफान के कारण परवल उत्पादक कृषकों का फसल बर्बाद हो गया है, जिससे कृषकों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवाला पंचायत के किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*428. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) के द्वारा योजनाओं के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई भी सूची लिए बिना मनमाने रूप से कार्यान्वित करायी जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा सूची लेकर योजनाओं का चयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निधि उपलब्ध करना

*429. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्रों में से पाण्डेयपट्टी एवं बाबानगर एवं अन्य जगहों में जल-जमाव एवं कच्ची गलियाँ हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् के विस्तारित क्षेत्रों के समस्या के निदान के लिए सही दिशा-निर्देश एवं निधि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

'ख'-*430. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु खेलो इंडिया पार्ट-2 के लिये मधुबनी जिला में भूमि चिन्हित किया जाना है जिसके लिये जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को सात माह पूर्व पत्र भेजा गया है परन्तु अभी तक बिस्फी विधान सभा क्षेत्र के बिस्फी अंचल एवं रहिका अंचल से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त अंचल से प्रस्ताव मांगा कर खेल संरचना का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइट लगाना

*431. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर नगरपालिका एवं हवेली खडगपुर नगर परिषद् में ब्रांडेड कंपनी (हेवेल्स) के उच्च गुणवत्ता वाले एल0 इ0 डी0 लाइट लगे हुए थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित लाइट के ठीक तरह से काम करने के बावजूद उसे बदल कर निम्न गुणवत्ता के साधारण लाइट को पूर्व के लाइट से उच्चतर दामों में क्रय कर लगाया गया है, जो ठीक ढंग से काम भी नहीं कर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले की जाँच कराकर पूरे नगरपालिका एवं नगर परिषद् क्षेत्र में पुनः ब्रांडेड कंपनी की लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन करना

*432. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा लगातार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न प्रकार की योजनायें चला रही हैं, जिसके अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विगत 10 वर्षों से अधिक से अनुदान देती रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में विगत 3 वर्षों से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये चयनित कृषकों के अनुदान की राशि का आवंटन नहीं हो रहा है जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक मधुबनी जिला में चयनित किसानों को वर्मी कम्पोस्ट यूनिट के लिये अनुदान की राशि का आवंटन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*433. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नल जल योजना अंतर्गत पक्की सड़क पर जलापूर्ति हेतु पाइप बिछाने के क्रम में सड़क टूटने की स्थिति में उस सड़क का निर्माण 90 (नब्बे) दिनों के अंदर कर लिया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत जलापूर्ति हेतु पक्की सड़क के बीचो-बीच पाइप बिछाने के क्रम में सभी पक्की सड़क पिछले वर्ष जुलाई 2020 से ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिससे आम जन-जीवन प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नल जल योजना अंतर्गत जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु पाइप बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त पक्की सड़कों का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 769 (6) रा, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में स्थानांतरित ।

पंचायत बनाना

*434. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल अन्तर्गत नगरनौसा प्रखण्ड मुख्यालय का वर्ष 2011 कि जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 13171 तथा गैर-कृषि आधारित जनसंख्या 10596 एवं उसकी प्रतिशत 80.44% है, जो नगर पंचायत बनने कि सभी वांछित मानकों को पूरा करता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगरनौसा (नालंदा) के पत्रांक 826, दिनांक 10 अगस्त, 2016 एवं संबंधित प्रपत्र के आधार पर जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 200, दिनांक 23 जून, 2017 के द्वारा नगरनौसा प्रखण्ड मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसा किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगरनौसा प्रखण्ड मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाली की सफाई

*435. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड आमलनगर के अधीन ग्राम पंचायत आलमनगर पूर्वी ग्राम पंचायत में आलमनगर दक्षिणी, आलमनगर उत्तरी ग्राम पंचायत नगर पंचायत में परिवर्तित हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत, आलमनगर के अधीन विभिन्न टोलों में नाली की सफाई नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर मुख्य बाजार सहित अन्य टोलों में स्थित नाली की सफाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*436. श्री देवेश कांत सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेया कोठी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत गोरेयाकोठी विधान सभा अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये अनाजों के भंडारण के लिये एक भी गोदाम नहीं है जिस कारण वर्षा में अनाज के क्षति की संभावना रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कबतक गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*437. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में खाद्य मिल के अधीन 72 चावल मिल कार्य कर रहे हैं जिनमें मात्र 3 मिल ही उसना चावल का उत्पादन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य खाद्य मिल द्वारा चावल मिल मालिकों से उसना चावल ही लेने का निर्णय पिछले माह लिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार के इस निर्णय के कारण औरंगाबाद जिला के लगभग 70 चावल मिल बन्द होने की स्थिति में है जिससे किसानों और मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार औरंगाबाद जिला के चावल मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*438. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के नगर परिसर, दानापुर के अन्तर्गत वार्ड नं० 39 में डी०पी०एस०, बेली रोड के दक्षिण में मुंडेश्वरी बेली ग्रीन अपार्टमेंट के सामने से के०के० सिंह के आवास के सामने तक पीसीसी पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण न होने से जल-जमाव

की समस्या से स्थानीय नागरिक परेशान है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर पीसीसी पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साफ-सफाई कराना

*439. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई नगर परिषद् क्षेत्र में मत्स्य विभाग के अधीनस्थ पड़ने वाले घनी आबादी के बीच स्थित कोठी पोखर, बोधवन तालाब एवं अन्य तालाबों की स्थिति देख-रेख के अभाव में गंदगी एवं नाले के पानी से दूषित हैं, जिनकी साफ-सफाई नहीं होने से नगर का वातावरण दूषित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर के बीच पड़ने वाले पोखर/तालाबों में फोंसिंग नहीं कराये जाने से कई बार छोटे-छोटे बच्चों के डूबने का खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर/तालाबों की साफ-सफाई एवं फोंसिंग कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन देना

*440. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत अलौली प्रखंड एवं खगड़िया प्रखंड में सरकार द्वारा महादलित परिवार को 3-3 डिसमील जमीन देने का आदेश है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखंड में 75 प्रतिशत महादलित परिवार को अभीतक 3-3 डिसमील जमीन नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोनों प्रखंडों में महादलित परिवार को 3-3 डिसमील जमीन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*441. श्री राम प्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज में रैक प्वाइंट नहीं रहने के कारण वहां के थोक-उर्वरक विक्रेताओं को यूरिया का आवंटन सीवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी रैक प्वाइंट से मिलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दुरस्थ रैक प्वाइंटों से गोपालगंज जिला के थोक उर्वरक विक्रेताओं को अपने दुकान व गोदाम तक यूरिया ट्रकों से लाना पड़ता है तथा डीजल के दाम में बढ़ोतरी के कारण ट्रक भाड़े में भारी वृद्धि हुयी है जिससे थोक विक्री ही सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज में रैक प्वाइंट बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*442. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत 3 वर्ष पूर्व 1400 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मद में प्राप्त हुये ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी मद से सफाई के नाम पर 6 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदी गयी जो आजतक सड़कों पर नहीं आयी एवं रिवर फ्रंट योजना, अमृत योजना, हाईमास्ट लाइट लगाया जाना था परंतु ये सब काम भी अभीतक पूरे नहीं हुये ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत वायोटेयलेट का निर्माण, एक करोड़ रुपये का कूड़ादान, विभिन्न स्थानों पर एल०ई०डी० स्क्रीन एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाया गया परंतु ये सारे बंद हो चुके हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी मद में कराये गये कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि वितरण करना

*443. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैती)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती प्रखंड के बारा मौजा में भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग यत्र-तत्र रहते हैं, जबकि बारा मौजा में गैर-मजरूआ जमीन उपलब्ध है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त मौजा में उपलब्ध गैर-मजरूआ जमीन को बारा मौजा के ही भूमिहीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बीच वितरण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*444. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के धनसोई बाजार एवं इटाही प्रखंड के इटाही बाजार में पानी की निकासी नहीं होने से एवं पतली सड़क होने के कारण आमजनता को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों बाजार में पक्की नाली, सड़क का चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर परिषद् का दर्जा देना

*445. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत भारत नेपाल सीमावर्ती घोडासहन बाजार नगर परिषद् के सभी मापदंडों को यथा जनसंख्या रेलवे स्टेशन, थाना, प्रखंड, अंचल अवर प्रमंडल विद्युत् कार्यालय, अधीक्षक सोमा शुल्क कार्यालय, राष्ट्रीयकृत स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आदि को पूर्ण करता है, यदि हाँ, तो सरकार घोडासहन को नगर परिषद् का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना

*446. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनिया प्रखंड के मुख्यालय पंचायत के वार्ड सं० 01 से 06 तक में हर घर नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। यदि हाँ, तो क्या सरकार लदनिया प्रखंड वार्ड अंतर्गत वार्ड सं० 01 से 06 तक में हर घर नल जल योजना को समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराकर आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*447. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत ताजपुर नगर पंचायत में हॉस्पिटल चौक से थाना चौक तक लगभग दो कि० मी० के जल-जमाव के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ताजपुर बाजार से जल निकासी के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्लेब का निर्माण

*448. डॉ० सी० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत साढा पंचायत के

प्रधुनाथ नगर, उमा नगर, शक्ति नगर तथा छपरा नगर निगम के मोहन नगर सहित अन्य नगर के अन्य भागों में वारिस के पानी से एवं खुले नाले से पानी के बहाव के कारण सड़क पर जल-जमाव एवं कीचड़ हो जाने से आमजनता को साइकिल, बाइक एवं पैदल चलने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर में जल-जमाव से मुक्ति एवं नाला पर स्लैब का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*449. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह) -- क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के बाजार वर्मा में जलापूर्ति योजना 30 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी जिसकी स्थिति अब जीर्ण-शीर्ण हो गयी है जिसके फलस्वरूप लोगों को समुचित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*450. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी) -- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009 में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक अनुमंडल में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय के बखरी अनुमंडल स्थित सुहागी शमशान घाट में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण नहीं हुआ है जिससे शवदाह कर्म में काफी कठिनाइयाँ होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि अधिग्रहण कराना

*451. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार) -- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड में झीम नदी के दोनों तरफ तटबंध का निर्माण आठ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनबरसा प्रखंड के बनझुला, लक्ष्मीपुर, बसतपुर एवं मडिया गांव में भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण तटबंध का कार्य रूका हुआ है, जिससे बाढ़ के समय जान-माल को भारी क्षति होती है, जबकि भूमि अधिग्रहण हेतु 16 करोड़ कि राशि दिये जाने के बावजूद भी भूमि अधिग्रहण का काम नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:

दिनांक 29 जुलाई, 2021 (ई०) ।

भूदेव राय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा ।